न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 250/2011 — अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. अलीखान पुत्र वली मोहम्मद 2. सावणखान पुत्र अलीखान 3. जमालखान पुत्र अलीखान 4. खमीशखान पुत्र अलीखान 5. गाजीखान पुत्र अलीखान 6. हाजीखान पुत्र अलीखान 7. हुसैनखान पुत्र अलीखान जाति मुसलमान, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये 1. जिला कलक्टर बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव 3. सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, बाड़मेर

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.10.2025

वादीगण के वाद पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 323, 328 रकवा क्रमशः 59.18, 194.03 बीघा की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही वादी व उनके पूर्वजों का बिना किसी रोकटोक के वक्त सेटलमेंट के पूर्व से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के रहवासी ढाणी, पानी के टांके व मवेशियों के पशु वाड़े आदि बने हुए है। वादीगण अनपढ एवं भूमिहीन काश्तकार है, जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि कार्य ही है। जब वादीगण द्वारा सरकारी योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि विवादित आराजी उसके नाम दर्ज नहीं होकर सरकारी खाता में सरकारी भूमि दर्ज है। वर्तमान में खसरा नम्बर 328 की भूमि गैर मुमकिन मगरा खनिज सम्भावित क्षेत्र हेतु आरक्षित कर दी जाने के कारण खनिज विभाग के प्रतिनिधि वादीगण को उनके कब्जा काश्त की उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः वादीगण द्वारा विवादित आराजी सरकारी खाता मे दर्ज होने से एडवर्स पजेशन के आधार स्वयं को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से उसका अनुचित लाभ उठाकर वादीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अतः वादीगण द्वारा विवादित आराजी में अपने लगातार कब्जा काश्त के आधार पर विवादित आराजी को वादीगण की खातेदारी घोषणा करवाने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 राज पैरोकार तहसीलदार शिव द्वारा वादीगण के वाद का पदवार जवाबदावा पेश करते हुए वादीगण द्वारा उक्त वाद विवादित आराजी को हड़पने की नियत तथा बिना किसी आधार व सबूत के पेश करने पर प्रस्तुत वाद को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 वरिष्ठ [illegible] विभाग बाड़मेर द्वारा वादीगण के वाद का पदवार जवाबदावा पेश करते हुए उक्त वादग्[illegible] में खनिज उपलब्ध होने पर खनिज विभाग को आरक्षित होने होने के वा[illegible] की नियत तथा मनगढंत तथ्यों के पेश करने पर प्रस्तु[illegible] खारिज किये जाने का [illegible] किया गया। वाद में विवाद्यक पैदान होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील [illegible] के ख.न. 323, 328 रक[illegible] 29.18, 194.03 बीघा में वादीगण के पूर्वज वक्त सेटलमेंट से पूर्व व उसके बाद लगातार काबिज काश्त होने से अपनी खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है?

जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

आया वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन मगरा होने एवं मौके पर खनिज संभावित होने से वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से दावा लाने के अधिकारी नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

3. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का सर्वप्रथम संवत् 2047 में अतिक्रमी की हैसियत होने से व मौके पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संभावित भण्डार होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 3

4. अन्य दादरसी।

तत्पश्चात् साक्ष्य वादी तलब की गई, जिस पर वादी संख्या 1 के द्वारा साक्ष्य वादी में साक्ष्य स्वरूप वादी संख्या 1 स्वंय पीडब्ल्यू–1 तथा स्वतंत्र गवाह चुतरसिंह पुत्र नरसिंह पीडब्ल्यू–2 के मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र पेश किये गये तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श करवाते हुए प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई, गवाहान के बयान कलमबद्व किये जाकर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के कब्जा–काश्त में थी तथा वक्त सेटलमेंट से उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा–काश्त निर्बाध रूप से लगातार चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के रहवासी ढाणी, पानी के टांके व पशुवाड़े बने हुए है। अतः वादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट से लेकर आदिनांक तक लगातार वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजी मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 323, 328 रकबा क्रमशः 59.18, 194.03 बीघा भूमि को वादीगण की खातेदारी घोषित की जावे।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन तनकीवार विवेचन किया गया, जो निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या (एक) – आया वादग्रस्त भूमि मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के ख.न. 323, 328 रकबा क्रमशः 29.18, 194.03 बीघा में वादीगण के पूर्वज वक्त सेटलमेंट से पूर्व व उसके बाद लगातार काबिज काश्त होने से अपनी खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, वादीगण के द्वारा साक्ष्य वादी में साक्ष्य स्वरूप पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 के मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र पेश किये गये। वादी साक्ष्य पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 से प्रतिवादी राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई, वादी संख्या 1 द्वारा जिरह में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकार के नाम दर्ज है, जिसमें मेरा लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी पर 20–25 वर्षो से मेरा अतिक्रमण किया हुआ है, जिस पर समय–समय पर मुझे बेदखल किया गया। साथ ही बताया गया कि वादीगण के घर आबादी भूमि में स्थित है। मेरे द्वारा उक्त दावा भूमि खनिज विभाग को आरक्षित होने पर पेश किया गया है तथा भूमि हड़पने की नियत से वाद पेश नहीं किया गया है। पीडब्ल्यू–2 द्वारा जिरह में बताया कि मैं वादीगण को जानता हुं। उक्त वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण की ढाणियां एवं पानी के टांके वादग्रस्त आराजी में बने हुए है, लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया, जिससे सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की हो। वादीगण द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा हो। साथ ही वादीगण के द्वारा सेटलमेंट के बाद असाधारण देरी से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी राज पैरोकार द्वारा अपने जवाब में वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण करने पर धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाकर ... किया जाता रहा है। अतिक्रमी की हैसियत से कोई अतिक्रमी खातेदारी घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी में खनिज भण्डार होने पर खनिज विभाग को आरक्षित ... चुकी है, वादीगण द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से वाद पेश किया गया है, विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त स्थिति में केवल अतिक्रमण तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 को साबित करने में वादीगण पूर्णतया असफल रहे है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तनकी संख्या (दो) – आया वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन मगरा होने एवं मौके पर खनिज संभावित होने से वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने के अधिकारी नहीं है? उक्त तनकी को साबित करने का भार शत प्रतिशत प्रतिवादी संख्या 1 पर था, वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी नहीं होने तथा वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त हो ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नहीं करने तथा भूमि सरकारी खाता में दर्ज होने से वादीगण अपनी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन मगरा है तथा भूमि वर्तमान में खनिज विभाग को आरक्षित की जा चुकी है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में खनिज भण्डार उपलब्ध होने पर खनिज विभाग को आरक्षित किये जाने के उपरांत वादीगण उक्त खातेदारी घोषणा का वाद मात्र अतिक्रमी की हैसियत से लाये है, जिसके वादीगण अधिकारी नहीं है। पूर्व में वादी संख्या 1 द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित आराजी पर 20-25 वर्षों से मेरा अतिक्रमण किया हुआ है, जिस पर समय-समय पर मुझे बेदखल किया गया। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी खनिज विभाग को आरक्षित होने तथा वादीगण केवल अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी नहीं होने से उक्त तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (तीन) – आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का सर्वप्रथम संवत् 2047 में अतिक्रमी की हैसियत होने से व मौके पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संभावित भण्डार होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर था। वादीगण द्वारा उक्त वाद मात्र प्रतिकूल कब्जा के आधार पर व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया प्रतीत होता है। पत्रावली में वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्वयं का लगातार कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है, साथ ही वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी खनिज विभाग को आरक्षित होने पर वाद पेश करने का कथन किया गया है जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते है। तनकी संख्या 1 व 2 में वादीगण द्वारा असफल रहने उक्त दोनों तनकीयात वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने पर समय-समय पर बेदखल किये गये है तथा वादग्रस्त आराजी में पर्याप्त मात्रा में खनिज भण्डार उपलब्ध होने पर भूमि खनिज प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती है। लिहाजा उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त से सरकारी भूमि दर्ज होने एवं वर्तमान में खनिज विभाग बाड़मेर को आरक्षित होने से वादीगण द्वारा केवल कब्जा प्राप्ति के आधार पर खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाहने तथा वाद परिसीमा की मियाद अवधि से बाहर होने व वादीगण सरकारी भूमि को केवल अतिक्रमी की हैसियत से अपनी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested